

लेखा

न्यायालय उप जिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद ।
 वाद संख्या 31 वर्ष 09-10 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
 मौजा बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद ।
 विप्रज्ञान सेवा समिति बनाम ग्रामसभा

न्यायालय निर्णय क्रमांक २०१५/४७

प्रस्तुत वाद विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद जरिये प्रबन्धक विकास सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी 459सी. पूरादलेल, अल्लापुर, इलाहाबाद ने ग्रामसभा बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद जरिये प्रधान उक्त मौजा को प्रतिबादी बनाते हुए धारा 143 ज0वि0अधि0नियम के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि वह ग्राम बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आ10सं0 529/0.1140 लगान 0.35, 530/0.3310, 532क/0.0910, 533/0.2630 लगान 3.30, आ10सं0 351क/0.0680, 352क/2/0.1140, 535/3/0.0230, 537/2/0.1140 लगान 4.15, 523ख रकमा 0.1030 लगान 0.65, 531/0.6050 लगान 2.20, 537/1/0.1140, 535/4/0.0910, 535/5/0.4100, 539/0.7530, 540/0.0910 लगान 8.80, 540ख/0.1140 लगान 3.40, 538ख/0.1940, 534/0.1940 लगान 4.40, 535/1/0.4100 लगान 7.40, 358/1/0.1260, 352क/1/0.1140, 535/2/0.2960 लगान 9.85 का जरिये बैनागा संकमणीय भूमिवर द कामीज दख्तील काशतकार लगान 9.85 का जरिये बैनागा संकमणीय भूमिवर द कामीज दख्तील काशतकार है जिसका उपयोग शैक्षणिक कार्य के लिए कराना चाहता है। यह कि क्य की गयी आराजियात वर्तगान गें गैरकृषिक है तथा प्रार्थी काशत नहीं वर रहा है। प्रार्थी अपनी उच्चता कथ की गयी आराजियात वर्गे गैर कृषिक कराना चाहता है। साथ में ग्राम बेन्दौं की उद्धरण खतौनी संलग्न किया है।

उक्त प्रकरण के संबंध में तहसीलदार करछना से स्थलीय एवं अभिलेखीलय जॉच आख्या मंगायी गयी। क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार पनासा तथा तहसीलदार करछना ने अपनी जॉच आख्या कमशः दिनांक 25.07.09, 26.07.09 एवं 11.08.09 तथा 21.08.2009 व नियत प्रारूप 143ज0वि0अधि0 के तहत नियम 135ज0वि0अधि0 प्रेषित किया जिसमें उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त आराजियात भौके पर खाली है जिसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूखण्ड को आवासीय एवं शैक्षणिक उपयोग हेतु कथ किया गया है। अतः उपरोक्त आराजियात को अवृष्टिके भूमि स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 16.09.09 में उल्लिखित किया है कि ग्राम बेन्दौं

नियमानुसार वाद पंजीकृत करके विपक्षी को नोटिस जारी की गयी। दिनांक 27.08.09 को नायब तहसीलदार पनासा को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण कर आख्या भेजो। नायब तहसीलदार पनासा ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 16.09.09 में उल्लिखित किया है कि ग्राम बेन्दौं



(N)

क्रमांक: 2

परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के आठनों 538ख रकबा 0.194हें, 540ख रकबा 0.114हें, 529 रकबा 0.114हें, 530 रकबा 0.331हें, 532क रकबा 0.091हें, 533 रकबा 0.263हें, 351क रकबा 0.068हें, 352क/2 रकबा 0.114हें, 535/3 रकबा 0.023हें, 537/2 रकबा 0.114हें, 523ख रकबा 0.103हें, 531 रकबा 0.605हें का 1/3 भाग रकबा 0.236हें, 537/1 रकबा 0.114हें, 535/4 रकबा 0.091हें, 535/5 रकबा 0.410हें, 540 रकबा 0.091हें, 539 रकबा 0.753हें, 534 रकबा 0.194हें, 535/1 रकबा 0.410हें, 358/1 रकबा 0.126हें, 352क/1 रकबा 0.114हें, 535/2 रकबा 0.296हें में से रकबा 0.433हें जो विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद के नाम बतौर संकाणीय भूमिधर दर्ज है। मौके पर जमीन उबड़ खाबड़ तथा कृषि के अयोग्य है। बारों तरफ से खम्मों एवं तार छारा बाउन्ड्रीशुदा है जहाँ किसी भी दशा में कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। उक्त भूखण्डों पर शिक्षण संरथान हेतु निर्णाण कार्य आरम्भ है। प्रश्नगत गूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अडघन नहीं है। अतः उपरोक्त आराजियात को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

ग्रामप्रधान ग्राम पंचायत बेन्दौं ने दिनांक 07.09.09 को अनापत्ति लिखित रूप से दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त आराजियात अकृषिक है और उबड़ खाबड़ है। ग्रामसभा को कोई नुकशान नहीं है और न ही ग्रामसभा की कोई भूमि प्रभावित है। उक्ता विप्रज्ञान के सभी भूखण्ड अकृषिक हैं। रामकृष्ण व बृजलाल व रामनिधि पुत्रगण स्व0 सभी भूखण्ड अकृषिक हैं। रामनारायण तथा भेवालाल, कृष्णलाल, दिनेश कुमार व सेवालाल पुत्रगण भेवालाल-निवासीगण ग्राम बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद द्वारा वयान तहसील दिनांक 08.09.09 को प्रत्युत किया जिसमें कहा है कि उक्त आराजियात गैरकृषिक है और अकृषिक घोषित किये जाने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

गैंगे पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया तथा वार्ता के विस्तार अधिवेशन की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बैन्डों पर गणा अरेल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की उद्धरण खतौनी रो रपट है कि उपरोक्त भूखण्ड विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद जरिये प्रबन्धक विकारा सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद के नाम बजरिये बैनासी संक्षमणीय भूमिधर अवित्त है। नायब तहसीलदार पनासा की आख्या दिनांक 16.09.09 रो रपट है कि वर्तमान समय में प्रश्नगत भूखण्डों पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि भूखण्ड उबड़ खाबड़ है और अकृषिक है जिस पर बारों तरफ से खागड़ों एवं त्तर द्वारा बाउन्हीशुदा है। उक्त भूखण्डों पर शिक्षण संरथान हेतु निर्माण कार्य आरम्भ है। ग्राम प्रधान बैन्डों द्वारा दहा गया

(3)

है कि उक्त भूखण्डों से ग्रामसभा की कोई भूमि प्रभावित नहीं हैं और उक्त भूखण्ड अकृषिक हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्डों को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः नायब तहसीलदार पनासा की आख्या दिनांक 16.09.09 के आधार पर ग्राम बेंदौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आ०न० 538ख रकबा 0.194हे०, 540ख रकबा 0.114हे०, 529 रकबा 0.114हे०, 530 रकबा 0.331हे०, 532क रकबा 0.091हे०, 533 रकबा 0.263हे०, 351क रकबा 0.068हे०, 352क/२ रकबा 0.114हे०, 535/३ रकबा 0.023हे०, 537/२ रकबा 0.114हे० व 523ख रकबा 0.103हे०, 531 रकबा 0.605हे० का 1/३ भाग रकबा 0.236हे०, 537/१ रकबा 0.114हे०, 535/४ रकबा 0.091हे०, 535/५ रकबा 0.410हे०, 540 रकबा 0.091हे०, 539 रकबा 0.753हे०, 534 रकबा 0.194हे०, 535/१ रकबा 0.410हे० व 358/१ रकबा 0.126हे०, 352क/१ रकबा 0.114हे०, 535/२ रकबा 0.296हे० में से रकबा 0.433हे० कुल 22 गाटा रकबा 4.158हे० को लगान गुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अगलदरागद जारी हो। चाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक: 27-X-2009.

27/X/09
(डी०एस०उपाध्याय)
उपजिलाधिकारी, करछना,
इलाहाबाद।

[No 7]

17/11/69
मायालय उप उपाधिकारी
करछना इलाहाबाद

2
2

नि



३२८ लाला

तात्त्वज्ञान :

ग्राम क्रमांक : 23050188330 ग्राम का नाम : चंदोरी
संवाद : इलाहाबाद प्रस्तुति क्रम : 140

नम-प्राप्त : उत्तराधिकारी पक्षलोकस्तः । 1416-1421 नम : १

06424	સાધુવા	દાનાદા	13925.	350ર	0.1480	1416ટ.દાનાદા ક્ર.નાય. દાન 350/20 . 05 મી.
દાનાદા	દાનાદા	દાનાદા	13936.	267	0.0060	530/351,532ક્ર.09/323.0 26 ક્ર.ન પાદ/
દાનાદા	દાનાદા	દાનાદા	13937.	267	0.0060	0.685 અ હોલ સે વિનોદ ગમધા ક દુઃખાદ, રસાં

દ્વારા : ૧-ક પુસ્તક એ રહેણથી ય પ્રિયાની અભિનાનના રૂપો હોય।

141.75.जनशंकरलाल कौरन उमीदवारियां सहायता
राष्ट्रपति 21 से 6.27 10.00 बजे आमंत्रण द्वारा दिया गया,
जबकि वह अपना देश 16.9.93 के बाद से नहीं देख सकता है।
परन्तु वह 30.7.5288 के 0.194.5600 पर 0.114.
529.0.114.530.0.331.532 के 0.09.532
0.292.531.068.352 के 30.114.
538.7.1063.537520.112.535.0.114
531.9.65.53.1.524 एवं इनके 0.256.5
535.0.11.12.515.6.0.091.535.5.0.114
530.0.109.1.5329.75.520.0.154.532
0.41167621.588.0.1.26.3526.10.1.4
535.2.0.296 के 0.198.0.413.681.212
4.536.61002.535.5.0.1560.0.134

卷之三

ઉદ્ધરણ ખતોની

卷之三

परमानन्द : अर्द्ध-
लहस्यालिं : चतुरचना-

नवार्थ इतिहास १४१६-१४२७

17

અને એવા કાર્યાલાયના વિભાગોની પણ આ બાબત
અનુભૂતિ હોય કરી શકતું હૈ. એટા બાબતની
અનુભૂતિ હોય કરી શકતું હૈ. એટા બાબતની

ପାତ୍ରଙ୍କିଣୀ	ବିଜୁଳିକା	ମହାନ୍ତିର	ଶରୀରକାରୀ
ପାତ୍ରଙ୍କିଣୀ	ବିଜୁଳିକା	ମହାନ୍ତିର	ଶରୀରକାରୀ
ପାତ୍ରଙ୍କିଣୀ	ବିଜୁଳିକା	ମହାନ୍ତିର	ଶରୀରକାରୀ
ପାତ୍ରଙ୍କିଣୀ	ବିଜୁଳିକା	ମହାନ୍ତିର	ଶରୀରକାରୀ

મારી : ૧-૩

卷之三

क्रमांक	नाम	संख्या
१	राजेश	३५४६२५०७५८
२	विजय	३५४६२५०७५९
३	प्रदीप	३५४६२५०७५१
४	निलंबन	३५४६२५०७५२
५	कुलदीप	३५४६२५०७५३

111

$$\text{कृत्यांग : } \frac{1}{0.0050} = 200$$

३४८

१०३८५

卷之三

三國志

1244 *Letters*

२४८

ग्रन्थपद

દરમણી રાય : ૧૪૧૬-૧૪૨૧

118

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

નિરાસ કરાડ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ
અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ
અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ
અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ	અધ્યક્ષ

સુરત : ૧૩

卷之三

10

1

६०२४३	देवनगरी अंकारण	नि. ५४४
कोमारी लक्ष्मण शेठी चाहो	लक्ष्मणशेठी	नि. ५४५
कुमारी	लक्ष्मणशेठी	नि. ५४६
वाप मिल्ल-	वाप प्रसाद	नि. ५४७
धिकारी निरा	जान कुल	नि. ५४८

$$0.65 \pm 0.03$$

113